इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2023—ज्येष्ठ 12, शक 1945

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.—1129840—2023—बाईस—पं—2. भोपाल, दिनांक 2 जून 2023

मध्यप्रदेश पंचायत राज एव ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 93 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक अंतर्गत किसी भवन का निर्माण करने या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करने या किसी भवन का पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा जारी करने के लिए निम्न तालिका में निर्दिष्ट भूमि की श्रेणी के लिए उसके समक्ष उल्लेखित अधिकारी को प्राधिकृत करती है, यह भी कि ऐसी अनुज्ञा जारी करने के लिए वही फीस देय होगी तथा वही प्रकिया लागू होगी जो उक्त विभागों के द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के लिए उनके द्वारा निर्धारित होगी—

अनुकमांक	भूमि की श्रेणी	प्राधिकारी
1	उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र	प्रबंध संचालक / मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का ऐसा अधिकारी जो उस औद्योगिक क्षेत्र का प्रभारी है।
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी

यदि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार करने की संसूचना उपरोक्त प्राधिकारी द्वारा नहीं दी जाती है तो यह उपधारित किया जाएगा कि अनुज्ञा दे दी गई है।

No. 1129840-2023-XXII-Pt-2.

In exercise of the powers conferred by clause (twenty one) of section 2 read with sub-section (3) of section 93 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 01 of 1994), the State Government hereby, Under the second proviso to sub-section (1) of section 55, the officer mentioned against the category of land specified in the following table for issuing permission to erect a building or to make any alteration or addition to an existing building or to reconstruct a building authorizes, Also, for issuing such permission, the same fee will be payable and the same procedure will be applicable, which will be prescribed by the said departments for the notified industrial area.

Serial Number	Land Category	Authority
1	The Industrial Area notified by the Industries Department	Managing Director/ such officer of the Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation who is in charge of that industrial area.
2	industrial area notified by the Department of Micro, Small and Medium Enterprises	Officer-in-charge of industrial area

Permission shall be presumed to have been granted if no refusal of such permission is communicated by the above authority within 30 days of the receipt of the application.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुशरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.